उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-23/2022/एस-2-।/189419/दस-2022-3146/2022

लखनऊ :: दिनॉक:: 13 जुलाई 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री मानवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारीए मध्यान्ह भोजन विकास प्राधिकरण लखनऊ।	मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्रीमती प्रीति उपाध्याय, वित्त नियंत्रक सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राजकीय निर्माण निगम लि0 उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जी0श्रीनिवासुलु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-23/2022-एस-2-।/189419(1)/दस-2022,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/गृह/बेसिक शिक्षा/लोक निर्माण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 शासन।

2- महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

7- समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उ0प्र0।

8- संबंधित अधिकारीगण ।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सजीवन)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।